प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प, उ0प्र0

चर्तुथ तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010
फोनः 2720718 फैक्सः 2720837, टोल फ्री नं0 1800 1800 118
Email: updasp12@gmail.com; Website: www.updasp.org

पत्रॉक 1012/डास्प/145/टी0ए0/सी0डी0पी0/2015
दिनॉकः 18 अगस्त, 2015

जिला परियोजना समन्वयक,
जिला परियोजना समन्वय इकाई, यूपीडास्प,
समस्त क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना जनपद।

विषयः क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजनान्तर्गत क्लस्टर लीडर के चयन, कार्य व मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजनान्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देश वर्ष 2014–15 (कार्यालय पत्र संख्या 3486/डास्प/103/टी0ए0/सी0डी0पी0/2014 दिनांक 14.08.2014) द्वारा क्लस्टर लीडर के चयन व उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये थे।

उक्त निर्गत दिशा–निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए क्लस्टर लीडर के चयन उनके कार्य व सम्बन्धित को मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में निर्देश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इसकी प्रति समस्त क्लस्टर लीडर के साथ–साथ अन्य समस्त सम्बन्धित को उपलब्ध कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 प्रभात कुमार)
प्रमुख सचिव एवं
परियोजना समन्वयक

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जोनल अधिकारी, पी0सी0यू0, यूपीडास्प।
2. मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष, पी0एम0जी0, समस्त योजना जनपद।
3. प्रभारी, वेबमास्टर को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्रमुख सचिव एवं
परियोजना समन्वयक

क्लस्टर लीडर के चयन एवं उनके कार्यों के सम्बन्ध में नवीन निर्देश

क्लस्टर/ग्रुप लीडर का चयन

क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजनान्तर्गत गठित क्लस्टर में क्लस्टर लीडर के चयन एवं उनके कार्य एवं कर्तव्य सम्बन्धी निर्गत दिशा–निर्देश वर्ष 2014–15 व योजना के एक वर्ष के कार्य अनुभव एवं क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्राप्त सुझावो के दृष्टिगत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर लीडर को क्लस्टर के कृषकों के बीच एक सेतु के रूप में जोड़ा जाए जिससे योजना में कृषकों की सक्रिय सहभागिता हर स्तर पर सुनिश्चित हो तथा आस–पास गांवों के अन्य कृषक भी योजना के परिणामों से प्रभावित होकर नई पद्धतियों को अपना सकें।

प्रत्येक क्लस्टर (समूह) से एक क्लस्टर/ग्रुप लीडर का चयन किया जाएगा जिसका आधार निम्नवत होगाः

1. क्लस्टर लीडर वही होगा जो क्लस्टर का सदस्य हो, मोबाइल धारक हो एवं जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
2. ऐसे क्लस्टर सदस्य को क्लस्टर लीडर चयनित किया जाए जो शिक्षित हो तथा ऊर्जावान एवं क्लस्टर में सक्रिय भूमिका निभा सके।
3. ऐसे क्लस्टर जिसमें चयनित क्लस्टर लीडर की उम्र 50 वर्ष या अधिक होने की दशा में चयनित क्लस्टर लीडर के पुत्र/पुत्री को क्लस्टर लीडर के रूप में चयनित कर निर्धारित कार्यों को करने हेतु योजनान्तर्गत स्वीकृति मानी जायेगी।
4. क्लस्टर लीडर का चयन प्राथमिकता के आधार पर क्लस्टर सदस्यों द्वारा उपरोक्त बिन्दु संख्या 1–3 के आधार पर आपसी सहमति से किया जाए। आपसी सहमति से सम्भव न हो पाने की स्थिति में क्लस्टर लीडर का चयन निम्न प्रक्रिया अनुसार किया जाएः

   4.1 चयन हेतु प्रथम वरीयता कृषि शिक्षा को दी जाये अर्थात जो क्लस्टर सदस्य कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक शिक्षित एवं सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता हो उसे ग्रुप/क्लस्टर लीडर बनाया जाए।

   4.2 कृषि शिक्षा का सदस्य उपलब्ध न होने की स्थिति में तकनीकी शिक्षा (वरीयता क्रम अभियंत्रण; पशु चिकित्सा; प्रबन्धन शिक्षा व कानूनी शिक्षा) में सबसे अधिक शिक्षित एवं सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता को क्लस्टर लीडर बनाया जाए।

   4.3 कृषि एवं तकनीकी शिक्षा के सदस्य उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य विषयों में सबसे अधिक शिक्षित एवं सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता को क्लस्टर लीडर बनाया जाए।

क्लस्टर/ग्रुप लीडर के कार्य एवं कर्तव्य

क्लस्टर/ग्रुप लीडर के कार्य निम्नवत होंगे:

1. क्लस्टर लीडर लाभार्थी कृषकों एवं योजना के मध्य सेतु की तरह कार्य करेगा। वह ग्राम स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक के प्रतिनिधि के रूप में उसके आँख और कान (Eyes and Ears) की तरह कार्य करेगा।

2. क्लस्टर सदस्यों को निर्धारित निवेश की प्राप्ति व उनके वितरण में योजना कार्मिकों तक कृषकों को सहयोग प्रदान करेगा एवं सम्बन्धित निवेशों की प्राप्ति का अभिलेख रखेगा।

3. समस्त क्लस्टर सदस्यों के खेत पर बुवाई व वितरित किये गये इनपुट का रिकार्ड (निर्धारित प्रारूप) जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करेगा।

4. फसल हेतु कैफेटेरिया में निर्धारित निवेशों का उपयोग कृषकों द्वारा सुनिश्चित करायेगा एवं इसकी सूचना जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करेगा। निवेशों की उपलब्धता न होने की सूचना जिला परियोजना समन्वयक को देगा ताकि आवश्यकतानुरूप व्यवस्था करायी जा सके।

5. क्लस्टर लीडर, क्लस्टर सदस्यों को खेत की तैयारी, आवश्यक निवेश (बीज दवा इत्यादि), फसल प्रबन्धन व फसल पकने के पश्चात उपज की बिक्री हेतु आवश्यक व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेगा।

6. योजनान्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित होने पर क्लस्टर लीडर द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। प्रशिक्षण में अर्जित ज्ञान से अपने-अपने क्लस्टर सदस्यों को अवगत करायेगा जिससे कि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो।

7. योजनान्तर्गत आयोजित कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्लस्टर सदस्यों को प्रशिक्षण स्थल तक पहुँचाने एवं प्रशिक्षण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

8. समस्त क्लस्टर सदस्यों के प्रदर्शन प्रक्षेत्र का क्लस्टर लीडर द्वारा नियमित अन्तराल (सप्ताह में कम से कम एक बार) पर भ्रमण किया जाए। यदि फसल में कोई बीमारी सम्बन्धी जानकारी संज्ञान में आती है तो उसे तत्काल जिला परियोजना समन्वयक को संज्ञानित करायेगा। ऐसे किये गये समस्त भ्रमणों का ब्यौरा क्लस्टर लीडर द्वारा अपने भ्रमण रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

9. क्लस्टर लीडर लाभार्थी कृषकों की क्लस्टर क्षेत्र में एक निश्चित स्थान पर 15 दिन में एक बैठक आयोजित करेगा तथा कृषकों से वार्ता के बिन्दु रजिस्टर में दर्ज करेगा।

10. योजना कार्यों से ग्राम में आने वाले अधिकारियों को भ्रमण में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए समन्वय स्थापित करेगा।

11. क्लस्टर लीडर का निवास/निर्धारित स्थान जो क्लस्टर सदस्यों की सहमति से किया गया हो, को तकनीकी प्रचार-प्रसार केन्द्र के रूप में रखा जायेगा जहाँ से क्लस्टर के सदस्य तकनीकी साहित्य प्राप्त कर सकेगें।

12. क्लस्टर लीडर अपने समस्त क्लस्टर सदस्यों के प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर सम्बन्धित कृषकों का नाम, योजना का नाम, प्रदर्शन का नाम व क्षेत्रफल प्रदर्शित करने हेतु लोहे का बोर्ड

लगवाना सुनिश्चित करेगा तथा इस पर होने वाले व्यय की धनराशि का वहन प्राप्त मानदेय धनराशि से किया जायेगा।

13. जिला परियोजना समन्वयक द्वारा क्लस्टर लीडर को प्रदान किये गये नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग दवाओं के छिड़काव में स्वयं के खेत के साथ–साथ क्लस्टर के अन्य सदस्यों को भी उपयोग हेतु उपलब्ध करायेगा।

14. Farmer Producer Organization (एफ0पी0ओ0) गठन की कार्यवाही हेतु क्लस्टर लीडर क्लस्टर के कृषकों को संगठित कर एक Farmer Interest Group (FIG) बनायेगा। ऐसे समस्त Farmer Interest Group (FIG) समूहों को जोड़कर एक Farmer Producer Organization (एफ0पी0ओ0) का गठन किया जायेगा जिसके लिये पृथक से निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।

15. अन्य कार्य जो भी समय–समय पर पी0एम0जी0 / भ्रमणकारी अधिकारी द्वारा सौपें जायें।

क्लस्टर लीडर को मानदेय का भुगतान

वर्ष 2015–16 में क्लस्टर प्रदर्शन मद अन्तर्गत चयनित क्लस्टर लीडर हेतु पूर्व निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त कार्य भी कराये जाने प्रस्तावित है। इस हेतु क्लस्टर लीडर को निर्धारित मानदेय धनराशि रू0 200 में बढ़ोत्तरी कर रू0 750 की धनराशि का प्रावधान उर्द / मूंग के क्लस्टर में किया गया है।

क्लस्टर लीडर को मानदेय का भुगतान तीन समान किश्तों में निम्नानुसार उसके बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा।

1. मानदेय की प्रथम किश्त रू0 250 का भुगतान सम्बन्धित क्लस्टर सदस्यों के खेत पर बुवाई व वितरित किये गये इनपुट का रिकार्ड (निर्धारित प्रारूप) जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करने के उपरान्त किया जायेगा।
2. मानदेय की द्वितीय किश्त रू0 250 का भुगतान प्रथम किश्त के एक माह पश्चात् क्लस्टर लीडर द्वारा प्रदर्शन प्रक्षेत्र के भ्रमण सम्बन्धी रिकार्ड एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा तद्दिनांक तक समस्त वांछित सूचनाओं के उपलब्ध कराने व लोहे का बोर्ड लगने की सूचना के उपरान्त किया जायेगा।
3. मानदेय की तृतीय व अन्तिम किश्त रू0 250 का भुगतान फसल कटाई व उपज आँकड़े सम्बन्धी सूचना जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषण के उपरान्त किया जायेगा।